न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15/2019 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 14.11.2019
G.C.M.S. NO. :- 2019/00095

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–श्रीमती प्रतापी पत्नि अमरचन्द नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (नामतर्क आदेश दिनांक 20.12.2024)
2–श्री शंकरलाल मु. अमरचन्द नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–श्री रामा पिता लच्छा नायक निवासी नारायणपुरा मृत्तक के बजाएः–
3/1–श्री शंकर लाल पुत्र रामा नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3/2–श्री हीरालाल पुत्र रामा नायक निवासी नारायणपुरा मृत्तक के बजाएः–
3/2/1–श्री पप्पू लाल पुत्र हीरालाल नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
3/2/2–पुष्पा पुत्री हीरालाल नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
3/2/3–श्रीमती गीता पत्नि हीरालाल नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
3/3–श्री नानालाल पुत्र रामा नायक निवासी नारायणपुरा मृत्तक के बजाएः–
3/3/1–श्री दिनेश पुत्र नानालाल नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
3/3/2–श्री गोविन्द पुत्र नानालाल नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
3/3/3–प्रेमी पुत्री नानालाल नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
3/3/4–श्रीमती शंकरी पत्नि नानालाल नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
3/4–श्री गोवर्धन पुत्र रामा नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
3/5–प्यारी बाई पुत्री रामा नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
4–श्री भैरू पिता मोहन नायक निवासी नारायणपुरा मृत्तक के बजाएः–
4/1–श्री रतन पुत्र भैरू नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
4/2–नोसर पुत्री भैरू नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
5–श्री जवाहर पिता मोहन नायक निवासी नारायणपुरा, मृत्तक के बजाएः–

Web Copy - Not Official

प्र. सं. 15/2019 (रा.प्रा.पत्र)
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राशमी बनाम श्रीमती प्रतापी पत्नि अमरचंद नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

5/1-श्री किशन पुत्र जवाहर नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
5/2-श्री कमलेश पुत्र जवाहर नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
5/3-श्री राकेश पुत्र जवाहर नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
5/4-रतनी पुत्री जवाहर नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
5/5-मूली पुत्री जवाहर नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
5/6-कृष्णा पुत्री जवाहर नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
5/7-पिंकी पुत्री जवाहर नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
5/8-सुमन पुत्री जवाहर नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
5/9-श्रीमती संतोष पत्नि जवाहर नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
6-श्री सोहन पिता मोहन नायक निवासी नारायणपुरा, मृत्तक के बजाएः-
6/1-श्री राधेश्याम पुत्र सोहन नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
6/2-ममता पुत्री सोहन नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
6/3-श्रीमती दुर्गा पत्नि सोहन नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी
7-श्री शम्भू पिता दुला नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
8-श्री बद्रीलाल पिता दुला नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़
(नामतर्क आदेश दिनांक 20.12.2024)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी कपासन मि. न. 371/75 आवंटन दिनांक 17.05.1976

उपस्थितिः-1- श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

Web Copy - Not Official

प्र. सं. 15/2019 (रा.प्रा.पत्र)
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राशमी बनाम श्रीमती प्रतापी पत्नि अमरचंद नायक निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 17.11.2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, राशमी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भूआवंटन नियम, 1970 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के पेश कर निवेदन किया कि मौजा नारायणपुरा, तहसील राशमी की बिलानाम आराजी नम्बर 389 रकबा 0.06 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी हक से श्री लच्छा पिता नोला जाति नायक को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा जरिये मिसल नम्बर 371/75 से दिनांक 17.05.1976 को आवंटित की। लच्छा पिता नोला की मृत्यु होने से उक्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का कभी भी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा न ही विपक्षीगण ने आवंटन नियमों की पालना की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अतः विपक्षीगण के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब की गई। जिला अभिलेखागार से तलबीदा पत्रावली जाया होने की सूचना प्राप्त होने पर बहस प्रकरण राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि आवंटी लच्छा पिता नोला नायक को मौजा नारायणपुरा की आराजी संख्या 389 रकबा 0.06 बीघा किस्म बारानी 2 भूमि का आवंटन तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा किया गया किन्तु स्व. लच्छा एवं विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है तथा आवंटित भूमि पर कभी भी विपक्षीगण का कब्जा नहीं रहा एवं मौके पर वर्तमान मे भी विपक्षीगण का कब्जा नहीं होकर पड़त पडी हुई है एवं काश्त नहीं हो रही है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे।

Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार भू आवंटन कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा मृत्तक आवंटी लच्छा पिता नोला नायक को मौजा नारायणपुरा तहसील राशमी की आराजी संख्या 389 रकबा 0.06 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया । लेकिन आवंटन के पश्चात् से उक्त भूमि पर लच्छा तथा लच्छा की मृत्यु के बाद विपक्षीगण द्वारा कभी काश्त नहीं की गई है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध पटवार हल्का पावली के मौका पर्चा दिनांक 20.09.2019 से होती है।

पटवार हल्का पावली ने अपने मौका पर्चा दिनांक 20.09.2019 में उक्त आवंटित भूमि आराजी नम्बर 389 रकबा 0.06 बीघा भूमि पर आवंटी एवं विपक्षीगण द्वारा आवंटन वर्ष से आदिनांक तक कभी काश्त नहीं होना बताया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि आवंटी तथा विपक्षीगण का उसको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर आवंटन वर्ष से आदिनांक तक कभी काश्त नहीं की गई है एवं वर्तमान में भूमि मौके पर पड़त पड़ी है तथा आवंटी एवं विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, राशमी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षीगण को आराजी नम्बर 389 रकबा 0.06 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(प्रभा गौतम)

Web Copy - Not Official